फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/29) **श्री किशनलाल अहीर बनाम तहसीलदार डुंगला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश कुमार जणवा - वकील प्रार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील अप्रार्थी **अनवान** **1. श्री किशनलाल पिता श्री भेरा जी अहीर, निवासी मंगलवाड़, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रार्थी** **बनाम** **1. राजस्थान जरिये तहसीलदार, डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-144 जाप्ता दिवानी** **<u>आदेश</u>** दिनांक 02.09.2024 उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 की पालना कराये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दिवानी पेश किया। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने ग्राम कल्याण उत्सव के दौरान ग्राम मंगलवाड़ की भूमि खसरा नम्बर 220/5 मीन रकबा 0.11 हैक्टेयर पटवार भवन एवं भू-अभिलेख निरीक्षण के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित कर 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटित की। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील पेश की जिसके नम्बर 216/2002 होकर निर्णय दिनांक 30.12.2002 से उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना कराये जाने बाबत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-144 जाप्ता दिवानी का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर रेस्पोडेंट को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। दिनांक 28.08.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी विस्तृत बहस सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब भी पेश किया गया। **अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश दिनांक 30.12.2002 की पालना इतने वर्षों उपरान्त भी नहीं की गई। प्रार्थी को उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया। उक्त भूमि आबादी की भूमि है। इसके बावजुद भी उक्त भूमि को प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली हेतु निरंतर नोटिस जारी किये जा रहे। जिस पर प्रार्थी को सिविल न्यायालय में प्रकरण पेश करना पड़ा और सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2024 को स्थगन जारी किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में जो सेटअपार्ट का आदेश जारी किया गया था, वह निरस्त हो चुका है, जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के आदेश की पालना में भूमि बिलानाम सरकार से आबादी दर्ज किया जावें, इस आशय का आदेश प्रसारित फरमाया जावें। **तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/29) **श्री किशनलाल अहीर बनाम तहसीलदार डुंगला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत कथनों के खण्डन में प्रस्तुत किया कि प्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त भूमि पर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश सिविल न्यायालय से जारी होना बताया है, ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील दर्ज की गई जो विचाराधीन है, उक्त प्रकरण विचाराधीन होने से वाद बाहुल्यता को रोकनें की मंशा एवं विधिक प्रावधानों के तहत उक्त निर्णय की पालना नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दिवानी का मयाद बाधित है। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का आद्योपांत अवलोकन किया।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 की पालना हेतु दाद चाही गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डुंगला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2024 की प्रति पेश की। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया कि **''प्रकरण में प्रथम दृष्टया इस स्तर पर पक्षकारों के अधिकार प्रकरण में उचित रूप से विवादित प्रतीत होते है। प्रकरण में वाद की प्रकृति एवं चाहे गये अनुतोष एवं वाद बाहुल्यता के निवारण हेतु उभयपक्षकारान को आगामी पेशी तक वाद में विवादित भुखण्ड आराजी संख्या 220/5 हल्का आबादी मंगलवाड़ चौराहा ग्राम पंचायत मंगलवाड़ की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनो रखने हेतु पाबंद किया जाता है।**'' उक्त आदेश के अनुसरण में विवादित भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना राजस्व अभिलेखों की यथास्थिति के आदेश को प्रभावित करने के समान होगा। उक्त यथास्थिति के आदेश होने उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना वांछित अनुतोष प्राप्त किये जाने के प्रयास औचित्यपुर्ण प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की समानान्तर कार्यवाही किया जाना विधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त राजकीय पेरोकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को मयाद बाधित होने का कथन किया है। इस संबंध में मयाद अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन से जाहिर होता है कि किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना हेतु अधिकतम 12 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2002 को पारित किये 12 वर्ष से अधिक समयावधि व्यतीत हो चुकी है, ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दिवानी मयाद अधिनियम के उक्त प्रावधानों से प्रभावित होने से पोषणीय नहीं है।

परिणामतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-144 जाप्ता दिवानी का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर